न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:—	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:—	जीसीएमएस नंबर 2024 / 83 मैन्युअल नंबर 24 / 2024
रजु दिनांकः	:—	04.12.2024

नमोनारायण मीना पुत्र स्व0 भौरीलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम झांपदा तहसील निर्झरना जिला — दौसा (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 निर्झरना जिला—दौसा राज0

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 तस्दीक द्वारा तहसीलदार निर्झरना, जिला—दौसा (राज0)

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा
02. सरकार की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 18-6-25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 तस्दीक द्वारा तहसीलदार निर्झरना इस आशय की पेश कि है की अपीलांट के पिता भौरीलाल पुत्र कानाराम मीना की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 14 रकबा 2.5543 हैक्टेयर, ख0नं0 15 रकबा 1.1381 हैक्टेयर ग्राम श्यामपुराकलां तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित है। इन भूमियों के संबंध में दिनांक 25.04.2024 को अपीलांट के पिता स्व0 भौरीलाल का इंतकाल हो जाने के उपरांत उसकी विरासत का नामान्तकरण मृतक भौरीलाल के वारिसान के हक में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05.07.2024 को तस्दीक किया गया था बरवक्त कार्यवाही अपीलांट द्वारा तहसीलदार निर्झरना के समक्ष सजरा खानदान स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया था परंतु तहसीलदार निर्झरना द्वारा तस्दीक नामांतरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 में अपीलांट का नाम नामांतकरण पंजिका में दर्ज करते समय नामोनारायण गलत दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट का वास्तविक व सही नाम नमोनारायण पुत्र भौरीलाल मीना हैं न कि नामोनारायण पुत्र भौरीलाल। अपीलांट का कहना है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत रूप से तस्दीक नामांतरण से अपीलांट को कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा नामांतरण में गलत एन्ट्री होने के कारण उसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी नमोनारायण के स्थान पर नामोनारायण गलत दर्ज होने के कारण उसे

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

सरकारी सुविधाओं से व्रंचित होना पड रहा है। अपीलांट ने अपील को मंजूर कर तहसीलदार निर्झरना द्वारा तस्दीक नामांतरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 को निरस्त करने व तहसीलदार निर्झरना को अपीलांट का सही नाम नमोनारायण पुत्र भौरीलाल मीना अंकित करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी की गई। प्रश्नगत नामांतरण से संबंधित मूल अभिलेख तहसीलदार निर्झरना से तलब किया जाकर शामिल किया गया।

अपीलांट की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर तहसीलदार निर्झरना द्वारा तस्दीक नामांतरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 को निरस्त करने व तहसीलदार निर्झरना को अपीलांट का सही नाम नमोनारायण पुत्र भौरीलाल मीना अंकित करने बाबत आदेश फरमाने का निवेदन किया।

हमने अपीलांट की बहस पर गौर व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार निर्झरना से प्रश्नगत नामांतरण में अपीलांट का नाम सही दर्ज करने में भूल हुई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरण संख्या 936 दिनांक 05.07.2024 तस्दीक द्वारा तहसीलदार निर्झरना निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निर्झरना को आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में जांच व अपीलाण्ट की सुनवाई की जाकर नामान्तकरण पुनः तस्दीक करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18/6/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मनमोहन मीना आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा